employees who hold posts corresponding to which there are no posts under the Government of Punjab. The Chandigarh Administration are preparing proposals equating these posts with posts under Covernment of Punjab having similar duties and responsibilities for purpose of revision of their pay scales.

Demands of Non-Gazetted Officers of Himachal Pradesh

994. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the non-Gazeted Officers of Himachal Pradesh have demanded that their strike period be treated as special leave period ;

(b) if so, the reaction of Government to their demand ; and

(c) whether their is any other outstanding issue or demand of the Himachal Pradesh employees that has remained unresolved and, if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, AND MINISTER OF STATE, DEPARTMENTS OF ELECTRONICS AND SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (SHRI K. C. PANT) : (a) Yes Sir.

(b) The Government of Himachal Pradesh have informed that their reaction is not favourable.

(c) The Government of Himachal Pradesh have intimated that as far as they are concerned, no other issue or demand of N. G. Os. has remained unresolved excepting the deman of the employees for grant of special leave to work-charged and temporary N. G. Os for the period of strike which is being examined by that Government.

सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ सम्पर्क

995. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ सीधा सम्पर्क है और वे नियमित रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं में भाग लेते हैं ;

(ख) क्या सरकार उनको इन शाखाओं में भाग लेने से रोकने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसके अब तक क्या परिणाम निकले है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). नवम्बर, 1966 में ये अनुदेश जारी किये गये कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेगा तो केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5(1) के उपबन्धों के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और यह कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य हो अथवा उसके साथ अथवा उसकी गतिविधियों के साथ अन्य प्रकार के सम्बद्ध हो तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी । इन अनुदेशों की पुनरावृत्ति की गई है ।

सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, जो इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं यथोचित कार्यवाही की जाती है ।

Formation of Autonomous Hill State in U. P.

996. SHRI RAMAVATAR SHASTRI :
SHRI VASUDEVAN NAIR :
SHRI JAGESHWAR YADAV :
SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH :
SHRI J. M. BISWAS :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that leaders of